भारत सरकार

शक्षा मंत्रालय

स्कूल शक्षा और साक्षरता वभाग

लोक सभा

अतारां कत प्रश्न संख्या-1189

उत्तर देने की तारीख-08/12/2025

सीबीएसई से संबद्ध शक्षकों को उपदान संदाय अ धनियम के अनुसार उपदान

†1189. श्री सु. वेंकटेशनः

क्या शक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

(क) त मलनाडु में सीबीएसई से संबद्ध ऐसे निजी स्कूलों की संख्या कतनी है, जो 2009 में संशो धत उपदान संदाय अ धनियम, 1972 के अनुसार अपने शक्षकों को, 03.04.1997 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू कया गया, अभी भी उपदान का भुगतान नहीं कर रहे हैं; और

(ख) सरकार द्वारा उन निजी सीबीएसई स्कूलों द्वारा उपदान का भुगतान सुनिश्चित करने के लए क्या कदम उठाए गए हैं, जिन्होंने संशो धत उपदान संदाय अ धनियम का अनुपालन नहीं कया है?

उत्तर

शक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): शक्षा सं वधान की समवर्ती सूची का एक वषय है। केन्द्र सरकार के स्वा मत्व/ वत्तपो षत स्कूलों के अलावा अन्य स्कूल संबं धत राज्य सरकारों के क्षेत्रा धकार में आते हैं। इस लए, यह मामला संबं धत राज्य सरकार के वनियामक दायरे में आता है और इस प्रकार इन्हीं प्रा धकरणों द्वारा इसे लागू कया जाना होता है।

इसके अतिरिक्त, सेवा नियमों के संबंध में केंद्रीय माध्य मक शक्षा बोर्ड (सीबीएसई) संबद्धता उपनियम-2018 में निम्न ल खत प्रावधान निर्धारित कए गए हैं:

खंड **5.3** में बताया गया है क स्कूल उपयुक्त सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी नियमों की तर्ज पर शक्षण और गैर-शक्षण कर्मचारियों के सेवा संबंधी नियमों को परिभा षत करेगा, जिसमें अंशदायी भ वष्य नि ध-पेंशन योजना **(5.3.11)** के संबंध में अच्छी तरह से प्रले खत प्रावधान शा मल हैं।

खंड **5.2.2** में बताया गया है क "शक्षण और गैर-शक्षण कर्मचारियों को उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान और भत्तों पर नियुक्त कया जाना चाहिए।

बोर्ड के सभी संबद्ध स्कूलों के लए यह अनिवार्य है क वे आवश्यक संशोधन वद् ध बोर्ड के संबद्धता उप-नियमों का पालन करें।

*****